



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

28 कार्तिक 1947 (श10)

(सं0 पटना 1725) पटना, बुधवार, 19 नवम्बर 2025

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

अधिसूचना

11 नवम्बर 2025

सं० नि.प्रा./नि-01-43/2023(खंड)-2985—चूँकि बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 की धारा 14 (क) में किये गये संशोधन एवं सहकारिता विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या-1273 दिनांक 01.03.2012 के क्रम में उक्त अधिनियम के तहत निबंधित सहकारी समितियों के प्रबंधकारिणी समिति, जो या तो अधिक्रमित/विघटित हैं या जिनकी कालावधि समाप्त होने वाली है, का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना है।

2. उक्त परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार द्वारा अनुलग्नक-1 में अंकित 26 प्रखंड प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड की प्रबंधकारिणी समिति का निर्वाचन कराने का निर्णय लिया गया है, जो अवक्रमित हैं अथवा जिनका निर्वाचन देय है या जिनके पद रिक्त है।

3. अतः बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा-4 एवं बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 (यथा संशोधित, 2008) की धारा 14 'क' तथा सुसंगत नियमावलियों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन प्राधिकार एतद् द्वारा कंडिका-5 में अंकित कार्यक्रम के अनुसार अनुलग्नक- 1 में अंकित प्रखंड प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड के उनकी उपविधियों में यथा वर्णित पदों के निर्वाचन हेतु सविरोध निर्वाचन की स्थिति में, मतदान हेतु दिनांक 16.12.2025 (मंगलवार) की तिथि नियत करता है तथा संबंधित समिति के मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे संगत अधिनियम/ नियमावली/ प्राधिकार के निदेशों के अधीन समिति के पदधारकों को निर्वाचित करें। ज्ञातव्य है कि इस उद्देश्य हेतु प्राधिकार के पत्र संख्या-2628 दिनांक 10.09.2025 द्वारा 10 प्रखंड प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड एवं पत्र संख्या-2654 दिनांक 12.09.2025 द्वारा अनुपूरक सूची के रूप में 04 प्रखंड प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड का मतदाता सूची तैयार करने के लिए कट-ऑफ तिथि 31.08.2025 को निर्धारित की गयी है एवं तदनुसार मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 08.10.2025 को संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा किया जा चुका है तथा पत्र संख्या-2785 दिनांक 06.10.2025 द्वारा 12 प्रखंड प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड का मतदाता सूची तैयार करने के लिए कट-ऑफ तिथि 31.08.2025 को निर्धारित की गयी है एवं तदनुसार मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 24.10.2025 को संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा किया जा चुका है।

4. सहकारिता विभाग के संकल्प संख्या 8529 दिनांक 01.11.2017 की कंडिका 2 (i) (ख) के आलोक में “बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना” के अंतर्गत निबंधित समितियों में आरक्षण के प्रावधान अपवर्जित रहेंगे।

5. उपर्युक्त के आलोक में अनुलग्नक-1 में अंकित प्रखंड प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड के प्रबंध समिति के निर्वाचन हेतु निम्नांकित कार्यक्रम नियत किया जाता है—

क्र०	निर्वाचन के प्रक्रम	तिथि
(i)	निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र-ई. 1 में सूचना का प्रकाशन	17.11.2025 (सोमवार)
(ii)	नामांकन की तिथि एवं समय	03.12.2025 (बुधवार) एवं 04.12.2025 (गुरुवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक
(iii)	संवीक्षा की तिथि एवं समय	05.12.2025 (शुक्रवार) एवं 06.12.2025 (शनिवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक
(iv)	अभ्यर्थिता वापसी/प्रतीक आवंटन की तिथि	09.12.2025 (मंगलवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक
(v)	मतदान, अगर आवश्यक हो	16.12.2025 (मंगलवार) 07:00 बजे पूर्वाह्न से 04:30 बजे अपराह्न तक
(vi)	मतगणना	16.12.2025 (मंगलवार) (मतदान के तुरंत पश्चात्)
(vii)	निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति	18.12.2025 (गुरुवार)

6. सभी संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी प्रबंधकारिणी समिति के विभिन्न पदों के निर्वाचन के लिए मानक प्रपत्र-ई. 1 में आवश्यक प्रविष्टियाँ अंकित कर सूचना दिनांक 17.11.2025 (सोमवार) को निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे। प्रपत्र-ई. 1 को प्राधिकार के वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। निर्वाचन कार्यक्रम का मतदाताओं के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका (20 सितम्बर, 2024 तक संशोधित) के अध्याय-3 की कंडिका- (1) से (5) में वर्णित निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7. जिन समितियों का निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचित किया जा रहा है, उन समितियों के संबंध में संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी संवीक्षा की तिथि को प्रपत्र-ई. 3 (नए प्रकाशित निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका में उल्लिखित) में विधिमान्यतः नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थियों की सूची तथा मतगणना की तिथि को प्रपत्र-ई. 18 में निर्वाचित सदस्यों की सूची उन्हीं तिथियों को ई-मेल (bseapatna@gmail.com) द्वारा प्राधिकार को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। साथ ही प्राधिकार के वेबसाइट पर भी ई-18 अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाए।

8. निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा कतिपय प्रविष्टियों के साथ अभिलेखों को भी प्राधिकार के वेबसाइट पर अपलोड किया जाना है। इसके संबंध में संलग्न परिशिष्ट-1 में निर्देश दिये गये हैं।

9. मतगणना प्रक्रिया की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के दृष्टिकोण से वज्रगृह को सील करने, खोलने, सीलबंद मतपत्र की मतपेटिका को खोलने आदि महत्वपूर्ण घटनाओं की यथासंभव वीडियोग्राफी भी करायी जायेगी।

10. निर्वाचन संपन्न होने के पश्चात् प्रपत्र ई. 18 (निर्वाचित सदस्यों की सूची) और निर्वाचन पदाधिकारी के नाम, हस्ताक्षर, तिथि एवं मुहर युक्त अंतिम मतदाता सूची (जिस पर निर्वाचन संपन्न हुआ है) की मूल प्रति स्कैन कराकर प्राधिकार के वेबसाइट पर परिशिष्ट-1 के निर्देशों के अनुरूप अपलोड करायेंगे। अंतिम मतदाता सूची के प्रत्येक पृष्ठ पर निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर अनिवार्य है।

11. बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा निरूपित आदर्श आचार संहिता निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति अर्थात् दिनांक 18.12.2025 तक लागू रहेगी। आदर्श आचार संहिता से संबंधित अनुदेश “सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका” के पृष्ठ 134-142 पर देखे जा सकते हैं।

आदेश से,
कयूम अंसारी,
संयुक्त सचिव।

निर्वाचन देय प्रखंड प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों की सूची:-

क्र०	जिला	प्रखंड	सब्जी समिति का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	कैमूर (भभुआ)	भगवानपुर	भगवानपुर प्रखंड प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड	
2	कैमूर (भभुआ)	मोहनियाँ	मोहनियाँ प्रखंड प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड	
3	पश्चिम चम्पारण (बेतिया)	ठकराहॉ	ठकराहा प्रखंड प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड	
4	पश्चिम चम्पारण (बेतिया)	बगहा-2	बगहा-2 प्रखंड प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड	
5	पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)	ढाका	ढाका प्रखंड प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड	
6	सीवान	बसंतपुर	बसंतपुर प्रखंड प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड, बसंतपुर	
7	सीवान	लकड़ी नबीगंज	लकड़ी नबीगंज प्रखंड प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड, लकड़ी नबीगंज	
8	दरभंगा	सिंहवाड़ा	सिंहवाड़ा प्रखंड प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड	
9.	जमुई	गिद्धौर	गिद्धौर प्रखंड प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड	
10.	जमुई	सिकन्दरा	सिकन्दरा प्रखंड प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड	
11.	कैमूर (भभुआ)	अधौरा	अधौरा प्रखंड प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड	
12.	सिवान	गोरेयाकोठी	गोरेयाकोठी प्रखंड प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड	
13.	मुजफ्फरपुर	बोचहॉ	बोचहॉ प्रखंड प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड	
14.	पटना	फतुहॉ	फतुहॉ प्रखंड प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड	
15.	लखीसराय	हलसी	हलसी प्रखंड प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड	
16.	लखीसराय	लखीसराय	लखीसराय प्रखंड प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड	
17.	लखीसराय	बड़हिया	बड़हिया प्रखंड प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड	
18.	लखीसराय	सूर्यगढ़ा	सूर्यगढ़ा प्रखंड प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड	

क्र०	जिला	प्रखंड	सब्जी समिति का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
19.	शेखपुरा	शेखोपुरसराय	शेखोपुरसराय प्रखंड प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड	
20.	शेखपुरा	बरबीघा	बरबीघा प्रखंड प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड	
21.	शेखपुरा	अरियरी	अरीयरी प्रखंड प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड	
22.	शेखपुरा	चेवाड़ा	चेवाड़ा प्रखंड प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड	
23.	शेखपुरा	शेखपुरा	शेखपुरा प्रखंड प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड	
24.	शेखपुरा	घाटकुसुम्भा	घाटकुसुम्भा प्रखंड प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड	
25.	पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी	छौड़ादानो	छौड़ादानो प्रखंड प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड	
26.	पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी	तुरकौलिया	तुरकौलिया प्रखंड प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड	

कयूम अंसारी,
संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1725-571+50-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>